



## जयपुर में लागू हुई 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना'

### चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2022 को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी नगिम लिमिटेड जयपुर की ओर से ऋणियों के लिये 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना-2022-23' लागू की गई।

### प्रमुख बिंदु

- इस योजना का लाभ जयपुर जिले के ऋणी ले सकेंगे, जिसके तहत 31 मार्च, 2022 तक वितरित व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिये पात्र होंगे।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
- योजना के तहत पात्र ऋणियों को अधिशेष राशि (मूल व ब्याज) एकमुश्त जमा कराने पर दंडनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट देय होगी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/one-time-debt-resolution-scheme>

